उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग–2
संख्या–426 / ग्यारह–2–9(47) / 17–उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश–(104)–2020
लखनऊ::दिनांक:: 30 अप्रैल, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (जिन्हें आगे तत्कालीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कहा गया है) को, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (अधिनियम संख्या 31 सन् 2016) के उपबंधों के अधीन निगमित ऋणी हैं, जो निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जिनका कार्य प्रबंध, अंतरिम समाधान वृत्तिकों (आईआरपी) या समाधान वृत्तिकों (आरपी) द्वारा किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रुप में अधिसूचित करती हैं जो आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया पूरी होने तक वे नीचे यथाउल्लिखित, अनुवर्ती विशेष प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे ।

2. **रजिस्ट्रीकरण**.- ऐसे व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी निगमित ऋणी से भिन्न व्यक्ति के रुप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां वह निगमित ऋणी रजिस्टर्ड थी, आई आर पी/ आर पी की नियुक्ति के तीस दिन के भीतर नया रजिस्ट्रीकरण (जिसे आगे नया रजिस्ट्रीकरण कहा गया है) कराने के लिए उत्तरदायी होगा:

परंतु ऐसी दशा में, जहां आईआरपी/आरपी की इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व नियुक्ति की गई है, वहां वह आई आर पी/ आर पी, इस अधिसूचना के प्रारम्भ होने से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण कराएगा, जो आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगा ।

3. **विवरणी**.- ऐसे व्यक्तियों का उक्त वर्ग, रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के पश्चात् उस तारीख से, जिस तारीख को वह रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी हो गया हो, से उस तारीख, जिस तारीख को

रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया हो, तक उक्त अधिनियम की धारा 40क के अधीन पहली विवरणी फाइल करेगा।

4. **इनपुट कर प्रत्यय.-** (1) आईआरपी/आरपी की नियुक्ति से, व्यक्तियों का उक्त वर्ग, उन बीजकों पर जो कि तत्कालीन जी एस टी आई एन पर माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियाँ प्राप्त की है, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उपबंधों और उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है), उक्त अधिनियम के अध्याय 5 की शर्तों और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अध्यधीन, के नियम 36 के उपनियम (4) के सिवाय, प्रस्तुत उसकी प्रथम विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय उपभोग करने का पात्र होगा।

(2) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्होंने, व्यक्तियों के उक्त वर्ग से, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से उस अवधि के लिए जो इस अधिसूचना में यथापेक्षित रजिस्ट्रीकरण की तारीख तक या इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर, इसमें से जो भी पूर्वत्तर हो, पूर्व में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के जी एस टी आई एन द्वारा जारी बीजकों पर पूर्तियाँ प्राप्त की है, उक्त अधिनियम के अध्याय 5 की शर्तों और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अधीन, उक्त नियमावली के नियम 36 के उपनियम (4) के उपबंधों के सिवाय, इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पात्र होगा ।

5. इस अधिसूचना के निबंधनानुसार आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से रजिस्ट्रीकरण की तारीख तक विद्यमान रजिस्ट्रीकरण में, आईआरपी/आरपी द्वारा रोकड़ खाता में निक्षेपित कोई रकम तत्कालीन रजिस्ट्रीकरण में प्रतिदाय के लिए उपलब्ध होगी।

स्पष्टीकरण .- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "निगमित ऋणी", "निगमित दिवाला समाधान वृत्तिक" "अंतरिम समाधान वृत्तिक" और "समाधान वृत्तिक" के वही अर्थ होंगे, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (अधिनियम संख्या 31 सन् 2016) में उनके लिये समनुदेशित हैं ।

आज्ञा से,

Alok Sinha

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव